राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 2497 / SEIAA/2022
Date: 5/1/23

प्रति,

मेसर्स ईटालियन मार्बल, पार्टनर,
श्री गणेश प्रसाद विश्वकर्मा, गौतम मोहल्ला,
जलपा देवी वार्ड, जिला कटनी (म.प्र.)

विषयः– प्रकरण क्र. 8099/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ईटालियन मार्बल, पार्टनर, श्री गणेश प्रसाद विश्वकर्मा, गौतम मोहल्ला, जलपा देवी वार्ड, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा मार्बल पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 57390 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.21 हेक्टेयर, खसरा 406, 417, ग्राम पोड़ी, तहसील ढ़ीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 762वीं बैठक दिनांक 27.12.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से स्पष्ट नहीं है कि उक्त मार्ग परिवर्तित कर लिया गया है जबकि अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज के अनुसार उक्त ग्रामीण सड़क वर्ष 2020 में ही निर्मित हो चुकी है जो कि खदान क्षेत्र के बीचो–बीच परिलक्षित हो रही है। साथ ही तहसीलदार के संलग्न प्रमाणित मानचित्र में भी उक्त सड़क खसरा नम्बर 417 प्रस्तावित खदान पर परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है।

माननीय एनजीटी एवं सीपीसीबी दिशा निर्देशों के उक्त मादण्ड अनुसार उपरोक्त क्षेत्र की पर्यावरण संवेदनशीलता को देखते हुए न्यूनतम खनन क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण उक्त प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाय।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण निरस्त किया जाता है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 2498 /SEIAA/2022 दिनांक – 5/1/23

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला कटनी (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला कटनी (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला कटनी (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी